भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 754
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2015/2श्रावण, 1937 (शक) को दिया गया)
कारपोरेट गवर्नेंस

754. श्री राजेशभाई चुड़ासमा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शासन प्रणाली में सुधार और इसके क्रियान्वयन हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि हां, तो क्या कारपोरेट गवर्नेंस में सुधार हेतु प्रधानमंत्री ने भी अपने सुझाव दिए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार देश में कारपोरेट क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु कदम उठा रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ) : कंपनी अधिनियम, 1956 की जगह बने कंपनी अधिनियम, 2013 में, भारत में कंपनियों में कारपोरेट गवर्नेंस को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड और इसकी समितियों जैसे कि लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के उत्तरदायित्व बढ़ा, हितधारकों के लिए और अधिक जानकारी देना, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करना, लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कठोर नियम बनाने तथा निवेशक सुरक्षा का उच्चतर स्तर करना शामिल है।

भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) भी फरवरी, 2015 में अधिसूचित कर दिए गए हैं और यह अनुमान है कि इससे कारपोरेट गवर्नेंस क उन्नत करने में सहायता मिलेगी। कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत आने वाली गतिविधियों को भी बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का एक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आसानी से व्यवसाय चलाने की दृष्टि से कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनियों के लिए न्यूनतम प्रदत्त पूंजी की अनिवार्यता, कंपनियों के लिए साझा मोहर और व्यवसाय

शुरू करने के लिए घोषणा-पत्र फाइल करने की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए संशोधन किए गए हैं। अन्य उपायों में, एक एकीकृत ई-फार्म आईएनसी-29 का प्रारंभ करके किसी कंपनी के लिए निगमीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना भी सम्मिलित है।

*****